कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com
फोन न0 01332–265700

पत्रांक: न0 10(3)/सीएफओ–आर/2023 दिनांक: मार्च 22.2023

स्वामी/प्रबन्धक

मैसर्स स्वैन पब्लिक स्कूल

कुडियाला रोड भगवानपुर रुडकी जनपद हरिद्वार।

विषय– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध मे।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर 80902802 दिनांक 09.03.2023 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रुडकी द्वारा किया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रुडकी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा मे है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन मे कुल द्वितीय तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 6539 वर्ग मी0 है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Coberd Area) 2187.93 वर्ग मी0 है। भवन/संस्था की उंचाई 9.601 मीटर है। भवन संस्थान मे बेसमेन्ट है/ नही है, जिसका क्षेत्रफल ______वर्ग मी0 है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन मे दिनांक 22 मार्च 2023 से 21 मार्च 2026.(3वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणो सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1– सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढियो प्रत्येक दशा मे अवरोध मुक्त रखी जाये।

2– आपके संस्थान के सभी कर्मचारियो को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रो का तथा सुरक्षित निष्क्रमण.(Evacuation) प्रकिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

3– यह कि सभी अग्निशमन यन्त्रो को कियाशील दशा मे रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रो की स्थापना का अर्थ यह नही लगाया जाये कि अग्निकान्ड की घटना नही हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाये सदैव करते रहना चाहिए।

4– भवन/संस्थान मे विद्युत यन्त्रो की स्थापना, वैन्टीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सेट बैक ऐरिया व निर्माण,Land Use Change मे बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

5– इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिये नही किया जा सकता।

6– संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह मे प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7– यदि उपरोक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिर्वतन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

8– संस्थान मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानको/एन.बी.सी.2016 के भाग–04 की गाईडलाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति मे रखा जाना जीव रक्षा एंव राष्टीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित मे आवश्यक है।

For SWAN PUBLIC SCHOOL
KLS
President

20/6/23
Principal
Swan Public School
Kudiala Road Bhagwanpur (U.K.)

(नरेन्द्र सिंह कुॅवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– प्रभारी फायर स्टेशन रुडकी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।